

सम्राट हर्षवर्धन की शासन-पद्धति : एक ऐतिहासिक एवं प्रशासनिक अध्ययन

सर्वेश कुमार मिश्र

<https://doi.org/10.61410/had.v21i3.352>

बाणभट्ट द्वारा रचित ग्रन्थ हर्षचरित, चीनी यात्री ह्वेनसांग द्वारा दिए गए विवरण, स्वयं हर्ष द्वारा रचित तीन ग्रन्थों रत्नावली, नागानन्द एवं प्रियदर्शिका में उल्लिखित अंशों, मधुबन तथा बांसखेड़ा ताम्रपत्रों से हर्ष की शासन पद्धति पर प्रकाश पड़ता है। बाणभट्ट एवं ह्वेनसांग दोनों को ही हर्ष का आश्रय प्राप्त था अतः उनके विवरणों में हर्ष की महानता के संदर्भ में पक्षपातपूर्ण उल्लेख होने की सम्भावना है।

‘हर्षचरित’ के अनुसार हर्ष लगभग पन्द्रह-सोलह वर्ष की आयु में शासक बने। उस समय उनके माता-पिता का शरीरान्त हो चुका था। बड़े भाई राज्यवर्द्धन तथा बहनोई गृहवर्मा की हत्या की जा चुकी थी। उत्तर भारत अनेक छोटे-छोटे राज्यों में विभक्त था। इस विषम परिस्थिति में अपने को संयत करते हुए उसने अपनी सैन्य शक्ति में वृद्धि की। समयोचित दृष्टि से कामरूप के राजा भास्कर वर्मा से मित्रता की, वल्लभी के राजा ध्रुवसेन के साथ सम्बन्ध सुदृढ़ किए विजयों द्वारा साम्राज्य सीमा का विस्तार किया। साम्राज्य को संगठित किया। अत्यधिक श्रम करते हुए प्रजा के प्रति उदारता की नीति अपनाई। धार्मिक सहिष्णुता की भावना रखने के साथ साहित्यिक एवं पुरातात्विक स्त्रोतों में हर्ष की उपाधियां चक्रवर्ती, देव, परमेश्वर, परमभट्टारक, परम माहेश्वर महाराजाधिराज तथा सकलोत्पथेश्वर आदि मिलती हैं। ह्वेनसांग ने हर्ष की दिनचर्या का उल्लेख करते हुए लिखा है कि ‘राजा का दिन तीन भागों में विभक्त था एक भाग में वह प्रशासन देखता तथा शेष दो भागों में धार्मिक कार्यों का सम्पादन करता था वह इन कर््यों में थकता नहीं था वरन् उसे पूरा दिन भी छोटा लगता था हर्ष अपने राज्य के निरीक्षण हेतु भ्रमण करता था। भ्रमण स्थलों पर फूस के अस्थायी भवन निर्मित किए जाते थे यदि किसी नगर के निवासी नियम के विरुद्ध आचरण करते थे तो राजा उन्हें दण्ड देता था। भले लोगों को पुरस्कृत किया जाता था। चीनी यात्री के विवरण की पुष्टि बाण के हर्षचरित से होती है। बांसखेड़ा और मधुबन के दानपत्र इसी प्रकार की यात्राओं में वर्द्धमानकोटि और कपित्थका के जयस्कन्धावारों से निर्गत किए गए थे।

मन्त्री

ह्वेनसांग के अनुसार पोनी (भण्डि) के नेतृत्व में कन्नौज के मन्त्रियों एवं राजनीतिज्ञों ने हर्ष को कन्नौज का राजमुकुट प्रदान किया था। ह्वेनसांग के अनुसार हर्ष के बड़े भाई राज्यवर्द्धन की हत्या के लिए मन्त्री भी अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी थे क्योंकि उन्होंने सम्भावित आशंकाओं से उसे सचेत नहीं किया था। ‘हर्षचरित’ में सिंहनाद और स्कन्दगुप्त के नाम अत्यन्त विश्वासपात्र एवं शुभचिन्तक के रूप में उल्लिखित हैं। ये क्रमशः पदाति एवं गजसेना के सेनानायक थे (गजसेनाधिकृत)। हर्ष के पिता प्रभाकरवर्द्धन के काल से ही वे शासन के अंग थे व हर्ष उनका अत्यन्त सम्मान करता था। सम्भवतः वे

- असिस्टेंट प्रोफेसर, इतिहास विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, गंगापुर परिसर, वाराणसी

मन्त्रिपरिषद के सदस्य भी थे। 'हर्षचरित' में सान्धिविग्रहिक (सन्धि एवं युद्ध सम्बन्धी) अवन्ति का उल्लेख है। प्रशासनिक निर्णयों में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी।

अन्य पदाधिकारी

राजा, राजदरवार तथा रनिवास की व्यवस्था हेतु अनेक पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। हर्षचरित में महाप्रतिहार, प्रतिहार दौवारिक आदि का उल्लेख है। स्कन्धावार तथा राजमहल हेतु अलग-अलग प्रतिहार नियुक्त किए जाते थे। हर्ष के दौवारिक का नाम 'पारियात्र' था हर्ष उसे विशिष्ट सम्मान देता था। राजभवन में राजा का निजी आवास धवलगृह कहलाता था। उसकी सुरक्षा हेतु वेत्रग्राही होते थे चामरग्राही कञ्चुकी (अन्तःपुर की सुरक्षा हेतु नियुक्त वृद्ध ब्राह्मण) अंगरक्षक आदि के नाम भी उल्लेखनीय हैं। दूर तक वेग से संदेश ले जाने वाले धावकों को दीर्घध्वग कहते थे। निश्चय ही ये राजा के अत्यन्त विश्वस्त अधिकारी थे। 'हर्षचरित' में उसके दरबार के प्रमुख अधिकारियों के नामों में 'महासन्धिविग्रहाधिकृत' 'महाबलाधिकृत' और 'महाप्रतिहार' का उल्लेख मिलता है। ये क्रमशः विदेश मन्त्री, प्रधान सेनापति एवं राजप्रसाद के रक्षक सैनिकों के प्रधान रहे होंगे हर्ष के ताम्रपत्र लेखों में भूमि अनुदान लेखकों के रूप में महाक्षपटलाधिकरणाधिकृत सामन्त महाराज एवं महाक्षपटलिक – सामन्त महाराज का उल्लेख है। इन अनुदानों को कार्यान्वित करने वाले (दूतक) एक महाप्रमातार—महासामन्त का उल्लेख मिलता है। महाक्षपटलिक लेखा कार्यालय का प्रमुख रहा होगा। महाप्रमातार अथवा कार्यान्वयन अधिकारियों के रूप में हर्ष ने सामन्तों का सहारा लिया होगा।

भूमि अनुदान पत्रों के विवरण के अनुसार हर्ष का साम्राज्य अनेक भुक्तियों (प्रान्तों) में विभक्त था। मधुबन ताम्रपत्रलेख में श्रावस्ती भुक्ति एवं बाँसखेड़ा ताम्रपत्रलेख में अहिच्छत्र भुक्ति का उल्लेख मिलता है। भुक्ति के अन्तर्गत अनेक विषय (जिले) थे। मधुबन लेख में कुण्डानी विषय तथा बाँसखेड़ा लेख में अंगदीया विषय का नाम मिलता है विषयों के अधिकारी विषयपति तथा उनके प्रधान कार्यालय को विषयाधिकरण कहा जाता था प्रत्येक विषय में अनेक पठक होते थे जो कदाचित् आजकल की तहसीलों के समान थे प्रशासन की सब से छोटी इकाई ग्राम थी। मधुबन लेख में सोमकुण्डा ग्राम का उल्लेख है। ग्राम के मुखिया महत्तर कहलाते थे। इनका कार्य ग्राम में शान्ति बनाए रखना, राजस्व की वसूली करना तथा स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना था। 'हर्षचरित' में 'ग्रामाक्षपटलिक' का उल्लेख है, जो ग्राम के आय-व्यय का विवरण रखता था। सम्भवतः ग्राम महत्तर के सहयोगी अधिकारी के रूप में ग्राम शासन के समुचित संचालन में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही होगी।

राजकीय आय एवं व्यय

सामान्य रूप से भूमि की उपज का 1/6 भाग कर के रूप में लिया जाता था। मधुबन ताम्रपत्र लेख में कर सम्बन्धी उल्लेख हैं। उदाहरणतया तुल्यमेय (तौल अथवा माप के आधार पर वस्तुओं पर लगाया जाने वाला कर) भागभोग (भूमि पर लगाया जाने वाला कर) आदि। सम्भवतः आयात की वस्तुओं पर व्यापारियों को सीमा स्थित चुंगी चौकियों पर कर देना पड़ता था। ह्वेनसांग के अनुसार नदियों के घाट पर तथा राजमार्गों पर व्यापारियों से उनके सामान पर कर लिया जाता था। वनों एवं खानों से भी राजस्व मिलता रहा होगा। 'हर्षचरित' के अनुसार समय $\leq$ पर भेंट स्वरूप राजकीय आय होती थी। प्रथम भेंट के अवसर पर सामन्तों ने हर्ष को हाथियों की भेंट दी थी। कामरूप के राजा भास्करवर्मन ने हर्ष को हाथियों की भेंट दी थी। कामरूप के राजा भास्करवर्मन ने हर्ष को अनेक वस्तुएं भेंट रूप में

भेजी थीं सैन्य प्रयाण एवं निरीक्षण यात्राओं के समय ग्राम के अधिकारी आदि हर्ष के लिए भेंट लाते थे। युद्ध में पराजित शासकों से प्राप्त सम्पत्ति भी राजकीय आय के साधन थे। भण्ड ने मालवराज को पराजित कर घोड़ा, हाथी, सोना आदि के रूप में अपार सम्पत्ति हर्ष को अर्पित की थी। चीनी यात्री के अनुसार राजकीय आवश्यकताएं कम थीं। प्रजा से बंगार नहीं ली जाती थी। करों का भार कम था अतः प्रजाजन अपने कामों और पैतृक सम्पत्ति की रक्षा में लगे रहते थे। हेनसांग के अनुसार राजकीय आय चार भागों में विभाजित कर व्यय की जाती थी—

1. एक भाग धार्मिक तथा राजकीय कार्यों में व्यय किया जाता था।
2. दूसरा भाग राजकीय अधिकारियों पर व्यय होता था।
3. तीसरा भाग विद्वानों को
4. चौथा भाग विभिन्न सम्प्रदायों को दान देने में व्यय होता था।

यात्री के विवरण से यह स्पष्ट नहीं है कि राजकीय व्यय का अनुपात क्या था? यह स्पष्ट है कि राजा उदार था तथा लोक कल्याण के कार्यों को प्राथमिकता प्रदान करता था हर्ष ने नालन्दा विश्वविद्यालय को संरक्षण प्रदान किया था उसने एक विशाल बौद्ध विहार तथा कांसे के मन्दिर का निर्माण कराया था ह्वेनसांग ने प्रयाग के पञ्चवर्षीय दान महोत्सव का विवरण करते। पुरस्कार तथा वृत्ति देने हेतु था। हुए विविध धर्मानुयायियों, निर्धनों, विद्वानों, साधकों को बड़ी मात्रा में दिए जाने वाले प्रस्तुत दान का उल्लेख किया है। दान की अधिकता का उल्लेख अतिशयोक्ति पूर्ण प्रतीत होती है।

न्याय व्यवस्था

बाण के 'हर्षचरित' में 'मनोरथाः सर्वगताः' एवं 'रणरणकः संचारकः' शब्दों का प्रयोग मिलता है। 'संचारक' शब्द का अर्थ घर अथवा गुप्तचर सम्भावित है। राधा कुमुद मुकर्जी ने सर्वगताः शब्द का आशय गुप्तचर माना है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि हर्ष की प्रशासन व्यवस्था में गुप्तचरों की महत्वपूर्ण भूमिका रही होगी। मधुबन एवं बांसखेड़ा दानपत्रों में महाप्रमातार, प्रमातार एवं दूतक का उल्लेख मिलता है। दूतक स्कन्दगुप्त के नाम के साथ महाप्रमातार शब्द उल्लिखित है। रमा शंकर त्रिपाठी प्रमातार को न्याय सम्बन्धी अधिकारी मानते हैं। फोगल ने इन्हें सिविल जज की संज्ञा दी है। देवहति ने भी इसे न्यायालय से सम्बन्धित अधिकारी माना है। किन्तु घोषाल इसे भूमि मापन कार्य से सम्बन्धित मानते हैं। ह्वेनसांग के अनुसार राजद्रोह करने पर आजन्म कारावास का दण्ड दिया जाता था। थपल्याल के अनुसार उसे कोई शारीरिक दण्ड नहीं मिलता था। पर वह समाज का सदस्य नहीं माना जाता था। सामाजिक सदाचार का उल्लंघन करने, विश्वासघात करने अथवा माता-पिता के साथ अनुचित व्यवहार करने पर नाक, एक कान, एक हाथ अथवा एक पैर काट दिया जाता था, अथवा अपराधी को दूसरे देश अथवा जंगल के लिए निष्कासित कर दिया जाता था। सामान्य अपराधों के लिए अर्थदण्ड की व्यवस्था थी। कुछ विशिष्ट अवसरों जैसे राजकुमारों के जन्म एवं राज्याभिषेक के अवसर पर बन्दियों के प्रति उदारता प्रदर्शित करते हुए उन्हें मुक्त करने के उल्लेख 'हर्षचरित' में मिलते हैं।

ह्वेनसांग ने अपराधों का पता लगाने हेतु चार प्रकार की दिव्य परीक्षाओं का उल्लेख किया है— (i) जल परीक्षा (ii) अग्नि परीक्षा, (iii) तुला परीक्षा एवं (iv) विष परीक्षा जल परीक्षा के अन्तर्गत अभियुक्त को एक बोरे में रखकर और दूसरे बोरे में एक पत्थर रखकर दोनों को रस्सी से जोड़कर नदी में डाल

दिया जाता था। यदि पत्थर वाला बोर तैरता रहे एवं दूसरा डूब तो माना जाता था कि अभियुक्त ने वास्तव में अपराध किया है। अग्नि परीक्षा में एक लोहे की चादर तपायी जाती थी। अभियुक्त को उस पर बिठाया जाता था। उसे उस पर अपनी जीभ सटानी पड़ती थी। मान्यता थी कि निदोष होने पर वह बच जायेगा व अपराधी होने पर जल जायेगा तुला परीक्षा में एक विशेष पत्थर से अभियुक्त को तौला जाता था। यदि पत्थर का भार कम निकलता था तो अभियुक्त को अपराधी समझा जाता था। विष परीक्षा के अन्तर्गत अभियुक्त की जांघों में एक चीरा लगाया जाता था विष का कुछ अंश चीरे के भीतर रख दिया जाता था यदि विष के प्रभाव से अभियुक्त मर गया तो उसने अपराध किया था। यदि बच गया तो निर्दोष था ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकार की परीक्षाएं अन्य परीक्षाओं के साथ-साथ प्रचलित रही होंगी। विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में दिव्य परीक्षाओं के अनेकशः वर्णन प्राप्त हैं। संक्षेप में कहा जा सकता है कि हर्ष की न्याय व्यवस्था में सामान्य रूप से दण्ड कम दिए जाते थे। इसका अर्थ यह नहीं कि अपराध कम होते थे। सम्भवतः अनेक राज्यों के अस्तित्व एवं सामन्ती व्यवस्था के कारण न्याय की प्रक्रिया में पर्याप्त भिन्नता रही होगी।

सैन्य व्यवस्था

ह्वेनसांग के अनुसार हर्ष की सेना के चार अंग क्रमशः पदाति, अश्वारोही, सेना, रथ सेना एवं गज सेना थी। इसमें रथ सेना का प्रयोग सम्भवतः नहीं रहा होगा, क्योंकि अन्यत्र किसी भी साधन से इसकी पुष्टि नहीं होती। हर्षचरित में सेना के अन्तर्गत ऊँटों का उल्लेख मिल है। सम्भवतः भारवाही पशु के रूप में इनका प्रयोग होता रहा होगा। उस युग में नौ सेना के भी उल्लेख मिलते हैं। हर्ष के मित्र भास्कर वर्मा के पास नौ सेना थी। यह कहना कठिन है कि हर्ष के पास नौ सेना थी अथवा नहीं। 'हर्षचरित' के अनुसार हर्ष की सेना में हाथियों की संख्या अनेक 'अयुत' थी। ह्वेनसांग के अनुसार हर्ष की सेना में साठ हजार हाथी थे बाण ने हाथियों को फौलादी दीवार की संज्ञा दी है जो शत्रु की बाण वर्षा को झेल सकती थी उसने हर्ष के हाथी 'दर्पशात' की भूरि-भूरि प्रशंसा की है। हर्ष के पिता प्रभाकरवर्धन की मृत्यु पर दर्पशात की आँखों से अविरल अश्रु प्रवाहित हुए थे। वातापी के चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के संघर्ष में हर्ष की सेना में विशाल संख्या में श्रेष्ठ हाथी थे ऐहोल लेख के लेखक रविकीर्ति ने लिखा है कि हर्ष इस युद्ध में मारे गए अपने हाथियों को देखकर हर्षरहित हो गया।

बाण ने हर्ष का अश्वसेना का अत्यन्त सुन्दर वर्णन किया है। विविध रंगों के उत्तम कोटि के अश्व भारत के अनेक अंचलों एवं विदेशों से मंगवाए जाते थे लगभग 14-15 वर्ष की आयु में हर्ष अपनी प्रिय अश्वसेना के साथ हिमालय की तराई में आखेट हेतु गया था बासखेडा ताम्रपत्र लेख में 'हस्त्यश्वस्कन्धावार' पद का उल्लेख है। बाण ने हर्ष को श्महावाहिनीपति की संज्ञा दी है। हर्ष के सेनापति का नाम सिंहनाद था जो उसके पिता प्रभाकरवर्द्धन का भी कृपापात्र था। सेनापति के अधीन सेना के विभिन्न अंगों के मुख्य अधिकारी होते थे हर्ष के 'गजसाधनाधिकृत' अधिकारी का नाम स्कन्दगुप्त था। गजसेना से सम्बन्धित महामात्र, आरोह, कर्पटी, लेशिक आदि का उल्लेख बाण ने किया है। कहा जा सकता है कि जीवन के आरम्भ में पारिवारिक विपत्तियों के बीच हर्ष ने धैर्य एवं संयम से अपने को संयत करते हुए सुचारु रूप से शासन किया।

निष्कर्ष

सम्राट हर्षवर्धन की शासन-व्यवस्था सातवीं शताब्दी के उत्तर भारतीय राजनीतिक एवं प्रशासनिक इतिहास की एक महत्वपूर्ण कड़ी थी। हर्ष ने राजनीतिक अस्थिरता के बीच अपने राज्य को संगठित किया और प्रशासनिक नियंत्रण को मजबूत करने का प्रयास किया। उसकी शासन व्यवस्था में राजा सर्वोच्च सत्ता का केन्द्र था, लेकिन विभिन्न अधिकारियों, सामन्तों तथा स्थानीय प्रशासनिक इकाइयों की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी।

मधुबन एवं बाँसखेड़ा ताम्रपत्रों से भुक्ति, विषय और ग्राम जैसी प्रशासनिक इकाइयों तथा भूमि अनुदान संबंधी व्यवस्था की जानकारी मिलती है। ग्राम स्तर पर महत्तर तथा अन्य अधिकारियों की भूमिका स्थानीय प्रशासन के महत्त्व को दर्शाती है।

राजस्व व्यवस्था कृषि पर आधारित थी और भूमि-उपज का एक भाग कर के रूप में लिया जाता था। व्यापारिक गतिविधियों, मार्गों एवं घाटों से प्राप्त कर तथा अन्य स्रोत भी राजकीय आय में योगदान करते थे।

न्याय-व्यवस्था में एक ओर सामान्य अपराधों के लिए अर्थदण्ड और अपेक्षाकृत उदार दण्ड का उल्लेख मिलता है, वहीं गंभीर अपराधों के लिए कठोर दण्ड की व्यवस्था भी थी। इस व्यवस्था को तत्कालीन सामाजिक एवं धार्मिक मान्यताओं की पृष्ठभूमि में समझना आवश्यक है। हर्ष की शासन-व्यवस्था का लोककल्याणकारी पक्ष भी उल्लेखनीय था। नालन्दा को संरक्षण, विद्वानों एवं धार्मिक समुदायों को सहायता तथा प्रयाग के पंचवर्षीय दान-महोत्सव जैसी गतिविधियाँ उसकी उदार नीति को प्रदर्शित करती हैं। सैन्य दृष्टि से हर्ष ने शक्तिशाली सेना का संगठन किया जिसमें गजसेना का विशेष महत्त्व था।

अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि हर्ष की शासन-व्यवस्था राजकीय केन्द्रीयता, सामन्तीय सहयोग, स्थानीय प्रशासन, संगठित राजस्व व्यवस्था, सैन्य शक्ति, न्यायिक नियंत्रण तथा लोककल्याणकारी उदारता का मिश्रित स्वरूप थी। उसकी शासन व्यवस्था तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों के अनुरूप विकसित हुई थी और प्राचीन भारतीय प्रशासनिक परम्परा के अध्ययन में उसका विशिष्ट स्थान है।

संदर्भ ग्रंथ

- 1- अग्रवाल, वासुदेव शरण – हर्षचरित : एक सांस्कृतिक अध्ययन, पटना, 1964
- 2- अल्तेकर, अनन्त सदाशिव – प्राचीन भारतीय शासन पद्धति, वाराणसी
- 3- बाणभट्ट – हर्षचरित, विभिन्न संस्करण।
- 4- ह्वेनसांग- सी-यू-की (Si-Yu-Ki), बौद्ध देशों की यात्रा, विभिन्न संस्करण।
- 5- मजूमदार, आर. सी. एवं पुसालकर, ए. डी. (सम्पा.) – The History and Culture of the Indian People, Vol- III: The Classical Age, भारतीय विद्या भवन
- 6- मजूमदार, आर. सी. – Ancient India, मोतीलाल बनारसीदास।
- 7- शर्मा, आर. एस. – India's Ancient Past, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
- 8- मुखर्जी, राधाकमल – The Fundamental Unity of India, न्यूयॉर्क।

- 9- पाण्डेय, विमल चन्द्र प्राचीन भारत का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास, विभिन्न संस्करण।
 - 10- सिंह, उपेन्द्र – A History of Ancient and Early Medieval India: From the Stone Age to the 12th Century, पियर्सन।
 - 11- थापर, रोमिला – Early India: From the Origins to AD 1300, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया प्रेस।
 - 12- Altekar, A.S. - The Position of Women in Hindu Civilization, Motilal Banarsidass.
 - 13- अग्रवाल, वासुदेव शरण, हर्षचरित एक सांस्कृतिक अध्ययन, पटना, 1964
 - 14- अल्टेकर, अनन्त सदाशिव, प्राचीन भारतीय शासन पद्धति वाराणसी, 2008
 - 15- कपूर, शैलेन्द्र नाथ, प्राचीन भारतीय राजतन्त्र, लखनऊ
 - 16- जायसवाल, काशी प्रसाद, हिन्दू राजतंत्र वाराणसी, 2007
 - 17- घोषाल, यू. एन., ए हिस्ट्री ऑफ हिन्दू पॉलिटिकल थियरिज, कलकत्ता, 1923
-